

मुद्रण - मुद्रण क्र. 0: 133/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

22.11.24

पत्रावली पेश। अपील/रस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने
आज्ञा पत्र 22-11-24 को पेश है।

24

22.11.24

पत्रावली पेश। अपीलांत/रस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांत प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर